

भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम ई मेल संख्या

दूरभाष न० आधार कार्ड न० बैंक खाता सं०

बैंक का नाम बैंक शाखा IFSC code No.....

दूरभाष न० आधार कार्ड न० बैंक खाता सं०

संलग्नक 'च.'

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था से स्वरोजगार/पुनर्वास हेतु लिए ऋण पर सबसिडि हेतु आवेदन पत्र

भाग -1

1. पूर्व सैनिक का आर्मी न० बैंक,..... नाम
2. पूर्व सैनिक के पिता का नाम3.सैनिक विधवा का नाम :
4. सेवा काल की अवधि से.....तक5. रेजीमेन्ट
6. पूर्व सैनिक की मृत्यु की तारीख7. सैनिक विधवा की मृत्यु की तारीख
8. पुनर्नियोजन की तिथि9. पुनर्नियोजन विभाग10. मासिक वेतन.....
10. मासिक पेंशन सभी भत्तों सहित11. स्वरोजगार से प्राप्त आय
12. पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा का पता : ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....
जिलाराज्य (उत्तराखण्ड) 13. बैंक का नाम जिससे ऋण लिया है :
14. ऋण की धनराशी :.....15. ऋण लेने की तारीख :
16. ऋण पर ब्याज की दर17 ऋण लेने का कारण :
18. कुल किस्त.....19. क्या आपने ऋण का उपयोग कर लिया है : ..हाँ/नहीं..... (उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न)।
20. क्या आपको पूर्व में तथा इस ऋण पर अन्य संस्था से ब्याज में छूट/रियायत प्राप्त हुयी है : **हाँ/नहीं**
(यदि हाँ, वर्ष धनराशी कारण

21. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त हेतु प्रथम बार आवेदन किया है तथा इससे पहले किसी अन्य संस्थान से उक्त ऋण की सबसिडी आवेदन नहीं किया है, मैंने ऊपर जो सूचना दी है वह सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। उक्त ऋण किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर सामुहिक रूप से नहीं लिया गया है। **उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मेरे को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।**

(रु० 1/- का रशीदी टिकिट)

दिनांक :

(पूर्व सैनिक/विधवा के के हस्ताक्षर)

भाग -2

22. उक्त पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा को ऋण की धनराशी ₹...../- प्रतिशत व्याज दर पर दि० को स्वीकृत कर **कैस क्रेडिट/टर्म लोन** से भुगतान किया गया है।

दिनांक

(बैंक प्रबन्धक के हस्ताक्षर व बैंक की मोहर)

भाग -3

23. मेरे द्वारा पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सार्टिफिकेट की मूल प्रति से ऊपर लिखा गया विवरण मिलान कर लिया गया है और सत्य है।

24. आवेदक ने पहली बार सबसिडि हेतु आवेदन किया है तथा किसी अन्य स्रोतों से सबसिडि प्राप्त नहीं की है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के हस्ताक्षर तथा

मोहर। **नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-**

1. पूर्व सैनिक का डिस्चार्ज बुक अथवा विधवा का सेवा विवरण पुस्तिका की सत्यापित छायाप्रति। 2. पूर्व सैनिक का नॉन इम्पलापयमेन्ट सर्टीफिकेट क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित। 3. बैंक द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र। 4. बैंक स्टेटमेन्ट अथवा बैंक खाते जिसमें ऋण लिये जाने एवं किस्त दिये जाने का विवरण हो, की नकल, बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर सहित। 5. यदि वाहन क्रय किया गया हो तो वाहन के निबन्धन, बीमा, पंजीकरण, रोड परमिट की सत्यापित छायाप्रति। 6. पूर्व सैनिक/विधवा का जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी पहिचान पत्र की छाया प्रति।